

प्रश्न सं. [ क. 1591 ]

मध्यप्रदेश शासन  
आदिम जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय

—आदेश—

भोपाल दिनांक २४/०३/२०१७

69।

क्रमांक-एफ-१२-०१/२०१७/२५-२, राज्य शासन एतद् द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग वर्ष २०१७-१८ से प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की स्थापना के लिए निम्नांकित नीति / मापदण्ड निर्धारित करता है :—

नवीन छात्रावासों की स्थापना हेतु नीति / मापदण्ड

1. छात्रावास तीन श्रेणी के होंगे— जूनियर (कक्षा 6 से 8), सीनियर (कक्षा 9 से 12) एवं महाविद्यालयीन छात्रावास जिला मुख्यालय पर ही खोले जाएंगे। उन परिस्थितियों में जहाँ किसी तहसील में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर राज्य की साक्षरता दर के अनुपात में अत्यन्त कम हो तथा जहाँ पूर्व से विभाग के छात्रावास संचालित नहीं हों, केवल उस दशा में तहसील / विकास खण्ड मुख्यालय पर भी छात्रावास खोलने की विशेष अनुमति देने पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु महाविद्यालयीन छात्रावास केवल जिला मुख्यालय स्तर पर ही खोले जायेंगे।
2. जूनियर, छात्रावास अब नहीं खोले जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अब मिडिल स्कूल प्रत्येक 3 कि.मी. में खुलने से जूनियर छात्रावासों की आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है।
3. नवीन छात्रावास प्रारम्भ करने के लिए राज्य स्तर पर जिले का चयन करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :—
  - 3.1 प्रत्येक जिले में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक विद्यालयों में एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में दर्ज अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या एवं छात्रावासों में रहने वाले छात्र और छात्राओं की सीट संख्या का अनुपात निकाला जावेगा।
  - 3.2 प्रत्येक जिले में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक विद्यालयों में एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में दर्ज अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या Gross Enrollment (GE) और जिले में संचालित जूनियर/सीनियर छात्रावासों की संख्या No. of Hostels (NH) का अनुपात निकाला जावेगा।
  - 3.3 विद्यार्थियों की सकल दर्ज संख्या Gross Enrollment (GE) तथा छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या No. of Hostellers (NHR) के आधार पर जिलेवार छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग सीनियर एवं महाविद्यालयीन Hostel Opening Priority Evidence (HOPE) तैयार किया जायेगा। इस प्रकार कुल 4 (HOPE) होंगे। जिसके आधार पर जिले का बालक या बालिका सीनियर या कॉलेज छात्रावारा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जायेगा।

- इसी प्रकार प्रत्येक स्तर का HOPE सूचकांक भी तैयार किया जावेगा।
- प्रदेश के सभी जिलों की प्राथमिकता सूची बढ़ते HOPE के क्रम में होगी तथा छात्रावास खोलने की प्राथमिकता इसी क्रम में निर्धारित होगी। जिस जिले में HOPE का मान सबसे कम होगा, उस जिले को पहली प्राथमिकता होगी।
- किन्तु चयनित जिले में यदि विद्यार्थियों की सकल दर्जे संख्या तथा छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या का मान छात्रों की तुलना में छात्राओं का कम है तो पहली प्राथमिकता बालिका छात्रावास खोलने के लिये होगी।
- किसी भी दशा में उन जिलों में नये छात्रावास नहीं खोले जायेंगे जिनमें HOPE सूचकांक प्रदेश के सूचकांक से अधिक है।
4. नवीन छात्रावास पूर्व से संचालित छात्रावास से कम से कम 08 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने चाहिए एवं कम से कम 50 विद्यार्थियों की उपलब्धता होना चाहिये।
  5. भविष्य में छात्रावास 50 या 100 सीट क्षमता के होंगे। किसी भी दशा में 50 सीट से कम क्षमता के छात्रावास नहीं खोले जायेंगे। प्रत्येक छात्रावास में भवन के साथ अधीक्षक आवास गृह, चौकीदार आवास गृह, बाउण्ड्रीवाल, प्ले.ग्राउण्ड तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होगी।
  6. राज्य का HOPE Index की गणना कुल दर्जे संख्या (GE) कुल छात्रावास (NH) एवं कुल छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों (NHR) के मान से की जाएगी।

$$\text{HOPE} = (\text{NH}/\text{GE}) \times (\text{NHR}/\text{GE})$$

राज्य के HOPE Index के बराबर सभी जिलों के HOPE Index पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए नवीन छात्रावास स्वीकृत किए जाएंगे।

7. जिन जिलों में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर्याप्त है, वहाँ पर इन विद्यार्थियों के लिए पृथक से छात्रावास खोलने पर विचार किया जायेगा। ऐसे छात्रावासों में इन शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

Shivam  
( सुषमा शर्मा )  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आदिम जाति कल्याण विभाग

113/1


पृष्ठ क्रमांक एफ 12-01/2017/25-2 / 692

भोपाल दिनांक २४/०३/२०१७

तेजी

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपकी यू०५००० टीप क्रमांक-5047 दिनांक 01.03.2017 के संदर्भ में।
4. समस्त सम्भागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, ..... (मध्यप्रदेश)
6. समस्त सम्भागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म०प्र०
7. रामस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (मध्यप्रदेश)
8. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास (मध्यप्रदेश)
9. संयुक्त संचालक, जन-सम्पर्क विभाग, भोपाल।
10. कम्प्यूटर प्रमारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
11. गार्ड फाईल।
12. की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अरेखित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
आदिम जाति कल्याण विभाग

### कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक/छात्रावास/686/2017/27/7

भोपाल, दिनांक 28/३/१७

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर शासन के पत्र पृष्ठ क्रमांक एफ-12-01/2017/25-2/692 दिनांक 24/03/2017 द्वारा जारी नवीन छात्रावासों की स्थापना के लिए नीति/मापदण्ड के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
  2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
  3. रामस्त सम्भागीय उप आयुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सम्भग मध्य प्रदेश।
  4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश।
  5. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्य प्रदेश।
- की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ-12-01/2017/25-2/691 दिनांक 24/03/2017 द्वारा वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की स्थापना के लिए जारी नीति/मापदण्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप आयुक्त,

आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश

  
उप सचिव

कार्यालय आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश